

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या - 2287 / 2006 / अलवर.
2. अपील संख्या - 2288 / 2006 / अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड-द्वितीय, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जय भवानी कोनकास्ट प्रा0 लिमिटेड,
भिवाड़ी (अलवर).

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री बी. डी. गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 27 / 01 / 2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड-द्वितीय अलवर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 219 व 220 / उपा-भरत / 04-05 / आरएसटी में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 6.3.2006 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सक्षम अधिकारी के प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 78(5) व 78(10ए) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.11.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2004 को वाहन संख्या एच.आर.55/बी-0974 को रामपुर-मंडाणा मार्ग से भिवाड़ी में प्रवेश करते समय चैक किये जाने पर वाहन में लोहा स्क्रैप लदा हुआ पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। लगभग एक घंटे पश्चात वाहन चालक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज पेश किये -



लगातार.....2

1. मै0 मेवात ट्रांसपोर्ट कॉरपो., फरीदाबाद की जी.आर.नं0 254 दिनांक 21.11.2004
2. देवान ब्रदर्स, फरीदाबाद का इनवॉयस संख्या 455 दिनांक 21.11.2004
3. देवान ब्रदर्स, फरीदाबाद का इनवॉयस संख्या 456 दिनांक 21.11.2004
4. फॉर्म वेट डी-3 नं0 4342102 दिनांक 21.11.2004
5. श्री गनपतिजी धर्मकांटा की पर्ची संख्या 27583

उक्त दस्तावेजों पर राज्य की किसी भी वाणिज्यिक चैकपोस्ट की मोहर अंकित नहीं पायी गयी तथा माल का परिवहन चैकपोस्ट बचाते हुए कच्चे माल से किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त अधिसूचित श्रेणी का माल परिवहन किये जाने के कारण दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी था, जो प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) व (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि उक्त घोषणा पत्र वाहन के डेशबोर्ड में उपलब्ध था, जो कि भूलवश वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब को पश्चातवर्ती सोच मानते हुए अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 1,03,311/- एवं धारा 78(2)(बी) का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(10ए) के तहत शास्ति रूपये 1,72,185/- आरोपित करने के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.11.2004 को पारित किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.2006 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर ये अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपील संख्या 2287 / 2006 के संदर्भ में कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर विधिक भूल की है, क्योंकि प्रत्यर्थी पर परिवहनित अधिसूचित माल के दस्तावेजों के साथ नियम 53 के तहत विहित घोषणा पत्र एस.टी.18ए के अभाव के कारण धारा 78(2) के उल्लंघन पर शास्ति आरोपित की गई थी। अपीलीय अधिकारी ने करापवंचन की मंशा के अभाव में शास्ति अपास्त की है, जबकि घोषणा पत्र का अभाव ही करापवंचन की मंशा घोषित कर देता है। तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के गुलजगु इण्डस्ट्रीज के निर्णय 18

टैक्स अपडेट 321 व 19 सेल्स टैक्स टूडे 237 (राज.) के निर्णय उद्धरित किये हैं। अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने जवाब के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र को अधिनियम की धारा 78(5) की पालना मानते हुए शास्ति अपास्त कर विधिक भूल की है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स प्रकरण में माल के साथ विहित दस्तावेजों का होना आवश्यक माना है, लेकिन भूलवश विहित दस्तावेज प्रस्तुत करने से रह जाये तो वही दस्तावेज जवाब के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में माल का परिवहन कच्चे रास्ते से किया जा रहा था तथा बिल बिल्टी भी बाद में पेश की गई थी, जिनके साथ घोषणा पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन आधारों पर सक्षम अधिकारी के आदेश बहाल करने व अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपील संख्या 2288 / 2006 के सम्बन्ध में कथन किया कि प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अधिनियम की धारा 78(10ए) का करापवंचन की नियत से अपराध कारित किया था। उनका कथन है कि माल के दस्तावेजों में घोषणा पत्र नहीं होने के कारण चैकपोस्ट को बचाकर बिना मुहर लगवाये वाहन को लाया गया था। इसलिए सक्षम अधिकारी ने धारा 78(10ए) के तहत शास्ति आरोपित कर विधिसम्मत आदेश पारित किया था।

अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने इस आधार पर अपील स्वीकार की थी कि धारा 78(10ए) के तहत शास्ति मेकेनिकल रूप से आरोपित नहीं की जा सकती, जब माल के समस्त दस्तावेज उपलब्ध हो तथा करापवंचन की मंशा नहीं हो, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में धारा 78(2) के तहत विहित सभी दस्तावेजों के बिना माल का परिवहन किया जा रहा था। धारा 78(10ए) एक निर्बाध (Non-abstente Clause) क्लॉज है, जिसमें वाहन को नजदीकी चैकपोस्ट पर नहीं रोकने पर शास्ति आकर्षित होती है, जिसमें करापवंचन की मंशा को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील स्वीकार कर सक्षम अधिकारी के आदेश को बहाल करने पर जोर दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के नोटिस के जवाब में घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, जो कि भूलवश वाहन चालक द्वारा डेश बोर्ड में रखा हुआ था। इसलिए अधिनियम की धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन नहीं होने में अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त किया है।



लगातार.....4

अग्रिम कथन किया कि वाहन चालक द्वारा नजदीकी चैकपोस्ट पर वाहन रोककर दस्तावेजों पर मुहर नहीं लगवाना एक तकनीकी कारण है, जबकि धारा 78(2)(ए) का उल्लंघन नहीं होने से धारा 78(10ए) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती थी। तर्क के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ के निर्णय (2009) 24 टैक्स अपडेट 240 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता, भरतपुर बनाम श्री गोविन्दलाल पुत्र श्री गंगाराम तथा (2009) 24 टैक्स अपडेट 265 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी वार्ड-तृतीय, वृत्त-बी, अलवर बनाम श्री अशोक कुमार जरिये मैसर्स अशोक ट्रेडिंग कम्पनी, गोविन्दगढ़ उद्धरित किये हैं।

यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं की सुविधानुसार कच्चे रास्ते से वाहन लाया गया था। किसी चैकपोस्ट से वाहन को लाना बाध्यकारी नहीं था, इसलिए कोई अपराध कारित नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है।

अतः अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। सक्षम अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट होता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.2004 को वाहन को रामपुर मंडाना मार्ग से भिवाड़ी में प्रवेश करते हुए चैक किया गया था। वाहन चालक/माल प्रभारी से वाहन में लदे माल लोहा स्क्रेप के दस्तावेज मांगे जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। वाहन चालक के बयान कलमबद्ध किये जाने पर उसने बताया कि -

“.....वाहन में लोहे का स्क्रेप फरीदाबाद से भरकर भिवाड़ी में ले जा रहा हूँ। माल भिवाड़ी में मै0 भवानी कॉनकास्ट, भिवाड़ी के यहां खाली करूंगा। वाहन में लदे माल के दस्तावेज मांगने पर बतलाया कि दस्तावेज एक मोटर साइकिल पर आये व्यक्ति ने मेरे से ले लिए थे। मैंने हरियाणा में पेट्रोल पंप के पास मौजूद S.T.D. P.C.O. से बिल्टी पर लिखे टेलीफोन नम्बर पर टेलीफोन किया था। टेलीफोन करने पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया था। उस व्यक्ति ने माल से संबंधित दस्तावेज मेरे से ले कर मुझे कहा था कि उसके पीछे-पीछे रामपुर-मंडाना मार्ग पर आ जावे। मैं उस मोटर साइकिल के पीछे-पीछे जा रहा था। माल के दस्तावेज उसी व्यक्ति के पास मौजूद है। मेरे पास माल से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। मैंने वाहन को राजस्थान में प्रवेश करते समय किसी भी जांच चौकी पर नहीं रोका। उससे संबंधित दस्तावेज किसी भी जांच चौकी पर पेश नहीं किये।”

लगातार.....5



वाहन चालक / माल प्रभारी ने एक घंटे बाद निम्न दस्तावेज पेश किये थे -

1. मै0 मेवात ट्रांसपोर्ट कॉरपो., फरीदाबाद की जी.आर.नं0 254 दिनांक 21.11.2004
2. देवान ब्रदर्स, फरीदाबाद का इनवॉयस संख्या 455 दिनांक 21.11.2004
3. देवान ब्रदर्स, फरीदाबाद का इनवॉयस संख्या 456 दिनांक 21.11.2004
4. फॉर्म वेट डी-3 नं0 4342102 दिनांक 21.11.2004
5. श्री गनपतिजी धर्मकांटा की पर्ची संख्या 27583

इन दस्तावेजों में घोषणा पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वाहन चालक ने अन्य कोई दस्तावेज नहीं होना बताया था, इसलिए सक्षम अधिकारी ने धारा 78(2)(ए) के उल्लंघन तथा वाहन को चैकपोस्ट पर नहीं रोककर दस्तावेजों पर मुहर नहीं अंकित कराये जाने के कारण धारा क्रमशः 78(5) व 78(10ए) के तहत शास्ति हेतु नोटिस जारी किये। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 29.11.2004 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था। साथ में घोषणा पत्र एस.टी.18ए भी प्रस्तुत किया गया, जो कि भूलवश ड्राईवर द्वारा डेश बोर्ड में रखा होने के कारण वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

सक्षम अधिकारी ने जवाब को पश्चातवर्ती सोच मानते हुए धारा 78(5) व 78(10ए) के तहत अलग-अलग शास्तियां आरोपित कर आदेश पारित किये गये, जिन्हें अपीलीय अधिकारी ने करापवंचन की मंशा के अभाव, दस्तावेजों के उपलब्ध होने के कारण शास्ति अपास्त की हैं। अपीलीय अधिकारी के आदेश विधिक प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिसूचित माल के सम्बन्ध में बाद में प्रस्तुत दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी व कांटापर्ची किसी लिफाफे में नहीं डाले गये थे। सभी दस्तावेजों पर कोई मोड़ उपलब्ध नहीं है। केवल वेट डी-3 मुड़ा हुआ पाया गया, जो कि माल विक्रेता मैसर्स दीवान ब्रदर्स द्वारा जारी किया गया था। इसी प्रकार घोषणा पत्र भी पत्रावली में रखे जाने हेतु ही मोड़ा गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि माल के परिवहन के समय दस्तावेज नहीं पाये गये थे, इसलिए घोषणा पत्र भी वाहन के डेश बोर्ड में होने का तथ्य मिथ्या साबित हो जाता है। जहां तक घोषणा पत्र जवाब के साथ पेश करने का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स डी.पी.मैटल्स में स्पष्ट अंकित किया है कि -

".....If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking, principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."



लगातार.....6

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज प्रकरण में भी माल के परिवहन के वक्त घोषणा पत्र या दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर या घोषणा पत्र अपूर्ण होने पर धारा 78(5) के तहत शास्ति को विधिसम्मत निर्णीत किया है। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति अपास्त कर विधिक प्रावधानों व निर्णयों के विपरीत अपास्त करने के कारण अपील आदेश को अपास्त किया जाता है।


सक्षम अधिकारी ने वाहन चालक द्वारा वाहन को चैकपोस्ट पर नहीं ले जाकर दस्तावेजों पर मुहर अंकित नहीं कराने के कारण धारा 78(10ए) के तहत शास्ति विधिसम्मत रूप से आरोपित की थी। अधिनियम की धारा 78(10ए) उद्धरित करना समीचीन होगा :-

78. Establishment of check-post and inspection of goods while in movement.-

(10A) Notwithstanding anything contained in this section, where the driver or the person in-charge of the vehicle or the carrier abstains from bringing or stopping the vehicle or carrier at the nearest check-post as provided under clause (b) of sub-section (2), the in-charge of the check-post or the officer empowered under sub-section (3) may detain such vehicle or carrier and, after affording an opportunity of being heard to the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person in-charge of the vehicle or carrier, may impose a penalty equal to fifty percent of the value of such goods.

वाहन चालक के पास माल के दस्तावेज नहीं होने के कारण वह वाहन को प्रत्यर्थी द्वारा बताये कच्चे रास्तों से व चैकपोस्ट बचाकर राज्य में प्रवेश कराया गया है। इसलिए उपधारा (10ए) के तहत शास्ति आकर्षित होती है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय (2009) 24 टैक्स अपडेट 240 में वर्णित प्रकरण में माल से सम्बन्धित सभी दस्तावेज उपलब्ध थे, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में नहीं थे। कर बोर्ड की समन्वय पीठ ने (2009) 24 टैक्स अपडेट 265 में घोषणा पत्र के अभाव में भी धारा 78(10ए) की शास्ति को तकनीकी मानकर उचित विधि प्रतिपादित नहीं की है। इस सम्बन्ध में माननीय खण्डपीठ के अपील संख्या 608/2008 व 610/2008/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन-द्वितीय, जयपुर बनाम रणजीत सिंह बनाम सुदामा सिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2012 में वेट अधिनियम की धारा 76(6), जो कि अधिनियम की धारा 78(5) के सदृश है तथा वेट अधिनियम की धारा 76(11) जो कि अधिनियम की धारा धारा 78(10ए) के सदृश है, को विश्लेषित करते हुए इस प्रावधान के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत निर्णीत किया है। निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है :-

 लगातार.....7

“इन प्रकरणों में सशक्त अधिकारी की पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में मैसर्स गौरव रेडीमेड गारमेंट्स, देहली द्वारा जारी किये गये बिल संख्या 539 दिनांक 27.1.2007 में क्रेता व्यवहारी मैसर्स करण रेडीमेड स्टोर, जयपुर के टिन नं० 08616301292 अंकित है तथा इसी फर्म द्वारा जारी बिल संख्या 540 दिनांक 27.1.2007 में क्रेता व्यवहारी मैसर्स कुमार हौजरी, जयपुर के टिन नं० 08016301292 अंकित है। उक्त दोनों टिन नम्बरों की संख्या लगभग समान होने से, यह प्रथम दृष्टया संदिग्ध एवं मिथ्या प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दिल्ली के व्यवहारियों के बिलों/ इन्वॉयसेज क्रमांक 275 दिनांक 7.12.2006; 33/1640 दिनांक 20.1.2007; 4/309 दिनांक 28.1.2007; 749 दिनांक 25.1.2007 में क्रेता व्यवहारियों के टिन नं० अंकित नहीं हैं। इसी प्रकार मैसर्स यामिनी शर्ट्स के चालान संख्या 382 दिनांक 25.1.2007 एवं मोहनजी जयपुर के नाम जारी लूज पर्ची संख्या 85 दिनांक 28.1.2007 में क्रेता व्यवहारियों के नाम-पते/टिन नं० अंकित नहीं हैं। इस प्रकार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों को वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों के तहत वैध दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः प्रत्यर्थी द्वारा माल परिवहन में स्पष्ट रूप से वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। माननीय उच्चतम न्यायलय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि वेट अधिनियम की धारा 76(2) के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिये वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में एवं प्रत्यर्थी को डीम्ड डीलर मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(12) व (13) के तहत करारोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

इसी प्रकार अपील संख्या 610/2008 से सम्बन्धित प्रकरण में प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्टर द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत वांछित दस्तावेजों के अभाव में, करापंचन की मंशा से वाणिज्यिक चैकपोस्ट पर माल का इन्द्राज नहीं करवाये जाने में स्पष्ट रूप से वेट अधिनियम की धारा 76(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्टर के माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने से वेट अधिनियम की धारा 76(11) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।”

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थागण द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) व धारा 76(2)(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थागण के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व धारा 76(12) व (13) के तहत कर तथा वेट अधिनियम की धारा 76(11) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने हेतु पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 13.4.2007 पूर्णतया विधिसम्मत हैं तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों को अपास्त किये जाने हेतु पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2007 प्रकरण के तथ्यों व विधिक प्रावधानों के अनुसरण में पारित नहीं किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।”

अतः उक्त विवेचन अनुसार दोनों अपीलीय आदेश किये जाने योग्य पाये जाते हैं तथा सक्षम अधिकारी के आदेश विधिसम्मत पारित होने से बहाल किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर दोनों अपीलीय आदेश दिनांक 6.3.2006 अपास्त करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 29.11.2204 बहाल (Restore) किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
27/01/14